न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 87/2013

बरदीचन्द्र पिता मुतबन्ना खुमा जी जाति गंवार निवासी सुवानियां तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1– श्री अर्जुन पिता दीपा जी गंवार निवासी सुवानियां तह0 बेगूँ

2– श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ

3– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार सा0 तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री के0सी0मंत्री
अधिवक्ता वादी
श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता प्रतिवादी. 1

निर्णय दिनांक :– 26.4.2017

वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमत

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया :–

यह कि मौजा सुवानियां प0ह0 सुवानियां तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 261 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि किस्म आ0चा0 एवं आराजी संख्या 267 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि किस्म बंजड वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित स्थित है ।

यह कि मौजा सुवानियॉ की उक्त आराजी संख्या 261 में वादी की दत्तक माता प्यारी बेवा खुमा का नाम 1/3 हक से एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 2/3 हक से व आराजी संख्या 267 में वादी की दत्तक माता खुमा का नाम 2/3 हक से एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम 1/3 हक से दर्ज रेकार्ड था व इसी अनुसार दोनो का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व था ।

यह कि सह खातेदार (वादी की दत्तक माता) प्यारी बेवा खुमा के देहावसान पश्चात राजस्व कर्मचारियों ने बिना जाँच पड़ताल किये प्यारी की विरासत का नामांतरकरण वादी के मृतक प्यारी व उसके पति खुमा का दत्तक पुत्र होते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दिया जबकि मृतक प्यारी के उत्तराधिकारी एकमात्र बहैसियत दत्तकपुत्र वादी होकर, वादी ही मृतक के हिस्से की आराजीयात पर काबिज हो काश्त कर रहा था व आज भी कर रहा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के प्राकृतिक पिता होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की एवं मौखिक रूप से कई बार खाता दुरुस्त कराने की कहा तो हमेशा टालमटूल करते रहे एवं खाता वादी के नाम कराने की कार्यवाही का आश्वान देते रहे, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विश्वास में आकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर बीमार रहने लग गये एवं कभी भी उनके 100 वर्ष पूर्ण हो सकते हैं जिससे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पश्चात वादी के हिस्से की भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना होने से तहसील कार्यालय में चल कर वादी के हिस्से की भूमि वादी के नाम कराने की कार्यवाही बाबत अंतिम रूप से दिनांक 10/7/2013 को कहा तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों के दबाव में आकर मना कर दिया जिससे वादी का वाद कारण उत्पन्न होकर वादी को यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि उक्त आराजी संख्या 261 में वादी का हिस्सा 1/3 एवं आराजी संख्या 267 में वादी का हिस्सा 2/3 मृतक प्यारी बेवा खुमा का दत्तक पुत्र होने से होकर वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में है जिसे वादी अपने खातेदारी हक होने की घोषणा कराने का अधिकारी होने से वादी का यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है।

वादी न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा सुवाणिया की आराजी संख्या 261 में वादी का हिस्सा 1/3 एवं आराजी संख्या 267 में वादी का हिस्सा 2/3 होकर वादी अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का अधिकारी है

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

दावा बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अजमेरी द्वारा अधिकार पत्र पेश करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया,जिसमें निम्न निवेदन किया गया :–

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक अस्वीकार है। वादी का वाद वर्णित आराजी में कोई अधिकार नहीं है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। वादी प्यारी का गोदपुत्र नहीं है, अवैध रूप से जमीन हड़पना चाहता है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है। राजस्व कर्मियों ने सही इंतकाल खोला था। वादी के खुमा की संपत्ति में कोई हक अधिकार नहीं है, न ही खुमा का वादी गोदपुत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था।

यह कि वाद पत्र पत्र की चरण संख्या क्रमशः 5 व 6 अस्वीकार हैं।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 7, 8, 9, 10 कानूनी होने से जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैकि वादी का वाद मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में जवाब दावा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली में उभयपक्ष को दस्तावेज पेश करने के समुचित अवसर दिये गए, पत्रावली में तनकी कायम न करते हुए साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी बरदीचन्द्र ,देवीलाल ,के प्रस्तुत किए गए , वादी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह करते हुए बयान कलमबद्ध कराये तथा वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्ताावेज को प्रदर्श कराया गया , पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिये गए किन्तु प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई । पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र अनुसार करते हुए दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होने से दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया , जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज के अनुसार किए जाने के निवेदन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया । प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा सुवानिया की सं0 2068 से 71 के अवलोकन से पाया कि आराजी संख्या 261 व 267 कीता– 2 कुल रकबा 0.7200हैक्टर भूमि के खातेदार श्री अर्जुन पिता दीपा गंवार सा.देह दर्ज अंकित है । प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा सुवानिया की सं0 2060 से 2063 का अवलोकन किया गया , जिसमें मौजा सुवानिया की आराजी संख्या 267 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री प्यारी बेवा खुमा 2/3 अर्जुन पिता दीपा 1/3 गंवार सा.देह खातेदार दर्ज है , जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि ना0सं0 195 विरासत 20.10.2003 से पूरा खाता मु. प्यारी के बजाय अर्जुन पिता दीपा गंवार सा.देह के नाम परिवर्तन की स्वीकृति हुई । इसी प्रकार प्रदर्श– 3 नकल जमाबंदी मौजा सुवानिया की सं0 2060 से 2063 में अंकित आराजी संख्या 261 रकबा 0.0600हैक्टर भूमि के खातेदार श्री प्यारी बेवा खुमा 1/3 अर्जुन पिता दीपा 2/3 गंवार सा0ह के नाम पर दर्ज होकर जमाबंदी में नोट अंकित है कि नामा0सं0 195 विरासत 20.10.2003से पूरा खाता मु. प्यारी के बजाय अर्जुन पिता दीपा गंवार सा0देह के नाम परिवर्तन की स्वीकृती हुई । प्रदर्श– 4 भारतनिर्वाचन आयोग के परिचय पत्र है जो वादी बरदीचन्द्र पिता खुमा के नाम से बना हुआ है । इसी प्रकार छायाप्रति परिवार राशनकार्ड खुमा के परिवार के सदस्यगण में प्यारीबाई की मृत्यु होने से उनके नाम को काटा गया है जबकि वादी बरदीचंद्र का नाम अन्य पुत्रीयों के साथ दर्ज है । प्रदर्श– 5 विक्रय पत्र आराजी का मूल दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अर्जुन पिता दीपा द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 255 का विक्रय वादी श्री बरदीचन्द्र दत्तकपुत्र खुमा जी गंवार के नाम विक्रय किया गया है , इस पंजीकृत विक्रय विलेख में भी वादी को दत्तक पुत्र खुमा को अंकित करते हुए प्रतिवादी अर्जुन द्वारा आराजी का विक्रय किया गया है । प्रदर्श–6 नकल नामान्तरण संख्या 195 है जो विरासत प्यारी बेवा खुमा की बजाय अर्जुन पिता दीपा गंवार के नाम पर खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2003को स्वीकृत किया गया है । नामान्तरण पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि निवेदन है कि खातेदार मु0 प्यारी बेवा खुमा फोत गयी है जिसके पुत्र पुत्री नहीं है प्यारी के पति के जीवनकाल से ही इनके भाई दीपा का पुत्र श्री अर्जुन जिनका पुत्र श्री बरदीचन्द्र को गोद रखा जिसके अभिलेख एवं रजिस्टर्ड गोदनामा भी नहीं होना प्रकट आया है ।

पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से मामला स्पष्ट हो जाता है कि वादी बरदीचन्द्र जिसके प्राकृतिक पिता प्रतिवादी सं. 1 श्री अर्जुन है ,प्यारीबाई के पति खुमा के भाई दीपा का पुत्र अर्जुन है कि पक्ष में प्यारीबाई के फोत होने से वाद वर्णित आराजी संख्या 261 एवं 267 की भूमि अंकित हो गई है , जबकि प्रदर्श–5 विक्रय विलेख पंजीकृत से स्पष्ट होता है कि वादी बरदीचन्द्र दत्तक पुत्र खुमा के है , उनके पास पंजीकृत गोदनामा न होने से खुमा के हिस्से की आराजी उनके नाम न आकर उनके पिता श्री अर्जुन के नाम आई है, वादी बरदीचन्द्र ने खुमा के दत्तक पुत्र होने का यह दावा बाबत घोषणा कृषि आराजी में किए जाने का किया गया , जिसमें प्रतिवादी द्वारा भी कोई ठोस विरोध नहीं किया गया है । गोद पुत्र यदि लिखित में हो तो उसका पंजीकृत होना अनिवार्य है, अथवा गोद पुत्र को जरिये साक्ष्य सिद्ध किया जा सकता है । पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज से यह तथ्य स्पष्ट हो जाते है कि वादी बरदीचन्द्र दत्तक पुत्र खुमा गंवार है जिनको खुमा के नाम दर्ज हिस्से की आराजी को अपने नाम घोषित कराने का अधिकार है ।

अतः वाद वादी अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है । मौजा सुवानिया प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 267 रकबा 0.6600हैक्टर भूमि में वादी बरदीचन्द्र दत्तकपुत्र खुमा का हिस्सा 2/3 ,प्रतिवादी सं. 1 अर्जुन का हिस्सा 1/3 तथा आराजी संख्या 261 रकबा 0.600हैक्टर भूमि में वादी बरदीचन्द्र दत्तकपुत्र खुमा का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 1 अर्जुन का हिस्सा 2/3दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है । उक्तानुसार आराजी वादी एवं प्रतवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 26.4.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ